न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–342 / 2026
उत्पन्न मुरलीगंज थाना काण्ड सं0–106 / 2026

1. नितीश कुमार उम्र लगभग 22 वर्ष पिता–भुलन साह
साकिन–रघुनिया, वार्ड नं0–06, थाना–कुमारखंड जिला–मधेपुरा
आवेदक / अभियुक्त।

बनाम्

बिहार सरकार – विपक्षी

जमानत आदेश

04–06–2026

दिनांक–07.03.2026 से काराधीन अभियुक्त नितीश कुमार का नियमित जमानत आवेदन जो मुरलीगंज थाना काण्ड सं0–106 / 2026 अन्तर्गत धारा–303(2) बी0एन0एस0 से संबंधित है, आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अम्बष्ट द्वारा दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है जिसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है जैसा कि प्राथमिकी में अभियोग लगाया गया है। आवेदक को दुश्मनों द्वारा भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक के सचेत कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आवेदक के विरूद्व लगाया गया अभियोग अस्पष्ट, अनिश्चित तथा अपर्याप्त है। अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से झूठा, मनगढंत एवं निराधार है इसलिए उसके विरूद्व धारा–303(2) का मामला नहीं बनता है। आवेदक को प्रस्तुत मामले से संबंधित मोटरसाकिल बरामद कर रानीगंज थाना कांड सं0–60 / 26 धारा–317(2) के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था तथा प्रस्तुत मामले में दिनांक 07.03.2026 को रिमांड किया गया। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को रानीगंज थाना कांड सं0–60 / 26 में दिनांक 28.03.26 को न्यायालय द्वारा जमानत प्राप्त हुआ है तथा किसी व्यक्ति को एक ही आपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। आवेदक के फारार होने की संभावना नहीं है तथा न्यायालय की संतुष्टि में अच्छे से अच्छा जामनतदार देने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

04.06.26

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभियोजन पक्ष का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 22.02.2026 की संध्या करीब 05:30 बजे सूचक अपने मोटरसाकिल रजि नं0–BR43U-6398, चेचिस नं0–HA11EYLHL20935 को लेकर मुरलीगंज काम से आया हुआ था। इसी बीच सूचक अपने मोटरसाकिल को मुरलीगंज हाट बाजार में सड़क के किनारे दयाल रेडिमेड कपडा दुकान के सामने लगाकर हाट बाजार के अंदर सामान लाने चला गया। कुछ समय बाद सामान लेकर वापस आया तो देखा कि मोटरसाकिल गायब था।

–लगातार

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, मधेपुरा।

बी0 पी0 नं0 :–342 / 2026
उत्पन्न मुरलीगंज थाना काण्ड सं0–106 / 2026
–2–

लगातार
04–06–26

– सूचक द्वारा काफी खोजबीन किया गया परंतु गाडी नहीं मिला, मोटरसाकिल किसी अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। मोटरसाकिल के डिक्की में सूचक के ममेरे भाई विशाल कुमार का दसवी का एडमिट कार्ड भी था।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी, कांड दैनिकी एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी धारा–303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्व दर्ज किया गया है तथा प्राथमिकी के अनुसार सूचक मुरलीगंज हाट बाजार करने हेतु सड़क के किनारे मोटरसाकिल लगाकर हाट बाजार के अंदर गये तथा वापस आने तक उनका मोटरसाकिल अज्ञात चोरो द्वारा चोरी करने का अभियोग लगाया गया है। कांड दैनिकी के पारा–02 एवं 06 में वादी तथा साक्षी का बयान है जिसमें घटना का समर्थन किया है।

आवेदक दिनांक–07.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है तथा आवेदक के विरूद्व अनुसंधान पूर्ण होने के उपरांत अनुसंधानकर्त्ता द्वारा आरोप पत्र सं0–192 / 2026 न्यायालय में प्रथमदृष्ट्या आवेदक के विरूद्व समर्पित किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास कांड दैनिकी में अंकित नहीं है। इसी घटना को लेकर रानीगंज से उक्त मोटरसाकिल बरामद कर रानीगंज थाना कांड सं0–60 / 26 धारा–317(2) बी0एन0एस0 के अंतर्गत आवेदक के विरूद्व दर्ज है जिसमें आवेदक जमानत पर है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त द्वारा मो0 10,000 / –रू0 के दो जमानतदारों द्वारा जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर आवेदक / अभियुक्त को इस शर्त्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय मे सदेह उपस्थित रहेंगे, दो जमानतदारो मे से एक उनके करीबी रिश्तेदार होगे तथा वाद विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।

लेखापित
Raghubir Prasad
04.06.2026
प्र0 अपर सत्र न्या0–2, मधेपुरा।